आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
14/10/16	**आदेश** आपूर्ति अपील वाद सं0–49/14–15 परमानंद यादव बनाम् सरकार का मामला विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक–1114/गो0 दिनांक–08.08.2014 के विरूद्व दायर किया गया है। तथ्य यह है कि अपीलार्थी प्रखंड–अमरपुर, पंचायत–भरको के जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे तथा इनके विरूद्व जनता दरवार में मनोज कुमार यादव व अन्य 119 व्यक्तिओं के परिवाद पत्र के आलोक में कारण–पृच्छा प्राप्त कर अनुज्ञप्ति सं0– 07/89 को निम्नलिखित आरोप के आलोक में रद्द किया गया है– 1. आवेदक श्री मनोज कुमार यादव का बयान है कि एक डीलर राजीव कुमार चौधरी की अनुज्ञप्ति रद्द करने के फलस्वरूप सम्बद्ध क्षेत्र/उपभोक्तओं की संबंद्धता उसी पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता परमानंद यादव से किया गया एवं विक्रेता किरासन तेल 2.5 लीटर का 48/– रूपये लेता है। 2. बी0पी0एल0 लाभार्थी चंद्रिका यादव कूपन संख्या–120589 द्वारा ब्यान दिया गया है कि विक्रेता परमानंद यादव बी0 पी0 एल0 योजना का गेहूँ 10 किलो एवं चावल 15 किलो का 170 रू0 तथा किरासन तेल 2.5 लीटर का 48/– रूपये लेता है। 3. विलास यादव कूपन संख्या–0122338 द्वारा ब्यान दिया गया है कि किरासन तेल 2.5 लीटर का 48/– रूपये तथा बी0 पी0 एल0 योजना का गेहूँ 10 किलो एवं चावल 13 किलो का 170 रू0 लेता है। 4. मनोज मंडल, बी0 पी0 एल0 लाभुक द्वारा ब्यान दिया गया है कि किरासन तेल 2.5 लीटर का 48/– रूपये तथा गेहूँ 10 किलो एवं चावल 13 किलो का 170 रू0 लेता है। 5. जयप्रकाश यादव द्वारा ब्यान दिया गया है कि किरासन तेल 2.5 लीटर का 48/– रूपये तथा गेहूँ 10 किलो एवं चावल 13 किलो का 170 रू0 लेता है। अपील अंगीकृत कर LCR प्राप्त किया गया है। निर्धारित तिथि पर उभय–पक्ष को सुना गया। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि वर्ष–1989 से जन वितरण विक्रेता थे तथा उपभोक्तओं को कोई शिकायत का मौका नही रहा है। दिनांक–29.08.2013 को मनोज कुमार यादव एवं अन्य 119 व्यक्तिओं के द्वारा जनता–दरबार में उनके विरूद्व परिवाद–पत्र दिया गया जिसे विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका को भेजा गया। परिवाद पत्र के आलोक में उनसे कारण पृच्छा की गयी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। दिनांक–20.10.2013 को कारण पृच्छा दाखिल किये एवं सभी पंजियों आदि के साथ पुनः उपस्थित होने का आदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पुनः कारण बताओ नोटिस किया गया जिसका जबाव भी दिया गया। इस क्रम में त्रि–स्तरीय जांच कमिटि का गठन कर जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। कमिटि द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं अनियमितता बरतने के आरोप में दिनांक–08.08.2014 को उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है जो न्यायोचित नहीं है। आगे पक्ष रखा गया कि उनके कारण–पृच्छा पर विचार नहीं किया गया। परिवादी द्वारा बहला–फुसला कर कुछ लोगों से उनके विरूद्व आरोप लगाया गया है। सूचना पट पर स्टॉक एवं मूल्य का जिक्र किया गया था परन्तु गलत प्रतिवेदन दिया गया है। कम मात्रा एवं अधिक कीमत लेने का आरोप सही नहीं है। बी0 पी0 एल0 एवं अन्त्योदय योजना का जनवरी एवं फरवरी, 2013 का उठाव एवं लाभुकों के बीच वितरण किया था। पी0 एच0 एच0 14 मार्च के खाद्यान्न के संबंध में भी विस्तार से पक्ष रखा गया जिसपर विचार नहीं किया गया। किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है। अपने बचाव में उक्त तथ्यों को रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश को निरस्त करने एवं अनुज्ञप्ति बहाल करने की प्रार्थना अपीलार्थी की ओर से किया गया है। सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपीलार्थी के	

कथन पर विरोध दर्ज कर कहा गया कि अपीलार्थी के विरूद्व परिवाद पत्र पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बौंसी, बांका एवं रजौन से संयुक्त जांच प्रतिवेदन की मांग अनुमंडल पदाधिकारी, बांका द्वारा किया गया है। विक्रेता की उपस्थिति में दिनांक–29.06.2014 को संयुक्त जांच की गई है एवं अनियमितता बरतने के आरोप में प्रतिवेदन समर्पित कर विधिसम्मत कार्रवाई की अनुशंसा जांच पदाधिकारियों द्वारा किया गया। जांच के क्रम में कुल–36 लाभुकों का ब्यान भी लिया गया है जिससे अपीलार्थी के विरूद्व आरोप की सम्पुष्टि होती है। इनके द्वारा मनमानी एवं गंभीर अनियमितता बरती गयी है फलस्वरूप इनका अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, बांका का आदेश उचित हैं एवं लाभुको के हित में कार्रवाई की गयी है।

उक्त तथ्यों को सरकार की ओर से रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश को बहाल रखने एवं अपील अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

बहस के आलोक में अभिलेख एवं LCR की जॉच की गई। अपीलार्थी द्वारा अपने समर्थन में लाभुक डबलू यादव, सुनिता देवी, संजु देवी, गीता देवी, तुरो यादव, मनोहर मेहतर, पवन मेहतर एवं विभुति यादव का कुल–08 शपथ–पत्र दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त श्री प्रवीण कुमार झा, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं अन्य का हस्ताक्षरित आवेदन पत्र एवं समाचार पत्रों की कटिंग तथा कुल–315 ग्रामीण व्यक्तियों का आवेदन–पत्र भी संलग्न कर लगाये गये आरोप का प्रतिकार किया गया है।

LCR में जांच पदाधिकारियों द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन व लाभुकों के ब्यान का अवलोकन किया गया। ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा जन वितरण कार्यो में गंभीर अनियमितता एवं मनमानी की गयी है। कुल–36 लाभुकों के ब्यान एवं संयुक्त जांच प्रतिवेदन के तथ्यों से इंकार नहीं किया जा सकता। विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका द्वारा विचारोपरांत तथ्यों की विस्तृत विवेचना व विचार कर आदेश पारित किया गया है। अनुज्ञप्ति रद्द होने पर अपील दायर करने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा बाद में लाभुकों से अपने पक्ष में शपथ–पत्र सोच समझकर समर्पित कराया गया है परन्तु जांच प्रतिवेदन तथा लाभुको के ब्यान से अपीलार्थी का बचाव नहीं होता है। समाचार–पत्र के समाचार की कटिंग से ज्ञात होता है कि धरना–प्रर्दशन की भी कार्रवाई करायी गयी है जबकि विहित प्रक्रिया में विक्षुब्ध पक्षकार को सक्षम फोरम में अपील या परिवाद दायर करने का अधिकार प्राप्त था/है जिसके अनुसरण में अपील दायर कर दिया गया था तो धरना–प्रर्दशन कराने की आवश्यकता नहीं थी।

जन वितरण प्रणाली सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजना है। इस योजना में पाई गई अनियमितता से समाज के गरीब, वंचित समाज कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित नहीं हो पाते है इससे विधि व्यवस्था की भी समस्या पैदा होती है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विचारोपरांत अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित
14.10.16
समाहर्त्ता,
बांका।

14.10.16
समाहर्त्ता,
बांका।